



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246936
CG-DL-E-01072023-246936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]
No. 163]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

मामला संख्या: ए डी (ओआई) -05/2023

विषय: चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर)” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/05/2023-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” अथवा “एडी नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, रिलायंस सिबूर इलेस्टोमर प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (जिसे यहां आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” अथवा या “पीयूसी” या “आईआईआर” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में उत्पन्न या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के डंप आयात ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से धीमा कर दिया है और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। हालांकि, प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया माना है कि संबद्ध देशों में उत्पादित या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के डंप आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर) है जो एक सिंथेटिक रबड़ है, जिसे टायरों के इनर ट्यूब और अन्य उच्च दबाव ट्यूबों के विनिर्माण में आम तौर पर प्रयोग किया जाता है। आईआईआर के अनुप्रयोगों में ट्यूब और टायर इनर लाइनर शामिल हैं जो न्यूमेटिक टायर विनिर्माण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसे डायफ्रेम, गेस्केट, वायर और केबल इंसुलेशन, लाइनर, ओ-रिंग, सील, वेदर स्ट्रिपिंग और बॉटल के ढक्कनों में भी प्रयोग किया जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 में टैरिफ कोड 4002 31 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
5. संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार पीयूसी तथा पीसीएन के निर्माण के लिए अपने प्रस्ताव यदि कोई हों, संबंधी अपनी टिप्पणियां इस जांच की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई ज्ञात खास अंतर नहीं है। इन दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं/विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं। आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः प्रस्तावित जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदक रिलायंस सिबूर इलेस्टोमर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने बताया है कि उसने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है क्योंकि अपने उत्पादन की वाणिज्यिक शुरुआत से पहले आरंभिक विपणन कार्यक्रमलाप करने के लिए ऐसे आयात आवश्यक थे। तथापि, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद कोई आयात नहीं किए गए हैं।
8. आवेदक ने यह भी बताया है कि वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबूर इन्वेस्टमेंट एजी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। सिबूर इन्वेस्टमेंट एजी, पीजेएससी एसआईबीयूटी होल्डिंग की एक 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है जो रूस में विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक सिबूर टागलियाटी की 100 प्रतिशत धारक कंपनी हुआ करती थी। सिबूर के पास रूस में विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक पीजेएससी नीझेकमस्नेफ्टेकिम में भी हिस्सा है। तथापि, भारत को ऐसे उत्पादकों के कोई सीधे निर्यात नहीं हैं। निर्यात यदि कोई हों, को व्यापारियों द्वारा किए गए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि रिलायंस इंडस्ट्री के पास अधिकांश शेयर हैं और इसलिए रिलायंस सिबूर इलास्टोमर प्राइवेट लिमिटेड पर उसका पूरा नियंत्रण है। इसके अलावा, आवेदक और पीजेएससी नीझेकमस्नेफ्टेकिम को नियम 2(ख) के अंतर्गत संबंधित नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये दोनों कंपनियां एक दूसरे पर कानूनी या प्रचालनात्मक नियंत्रण रखने की स्थिति में नहीं हैं और किसी तीसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं हैं, इसलिए उन्हें किसी निर्यातक या संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादक से संबंधित नहीं समझना चाहिए।
9. रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिलायंस इलास्टोमर प्राइवेट लिमिटेड भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है। उपर्युक्त के मद्देनजर, और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी प्रथमदृष्टया नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार, पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

घ. सामान्य मूल्य**चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं, उनके सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। सामान्य मूल्य को तर्कसंगत लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए विधिवत रूप से समायोजित रूप में भारत में उत्पादन लागत के आधार पर परिचलित किया गया है।

रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि वह संबद्ध देशों में घरेलू बिक्री कीमत संबंधी साक्ष्य जुटाने में असमर्थ रहा था। चूंकि अधिकांश देश आयातों की काफी कम मात्रा के साथ संबद्ध वस्तु के निवल निर्यातक हैं, इसलिए आयात कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक ने रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर व संयुक्त राज्य अमरीका के लिए भारत में उत्पादन लागत में तर्कसंगत लाभ जोड़कर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसे ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार सामान्य मूल्य परिकलित करने का प्रस्ताव किया है।

प्राधिकारी ने इस जांच की शुरुआत के लिए संबद्ध देशों हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावे को स्वीकार किया है।

ड. निर्यात कीमत**चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत**

12. आवेदक ने दावा किया है कि डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में सूचित चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत में कुछ गलतियां लगती हैं और वह अन्य देशों के लिए निर्यात कीमत से काफी अधिक है। तदनुसार, आवेदक ने ट्रेड मैप डेटा में सूचित एफओबी कीमत को लिया है और उसे चीन जन.गण. के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए समायोजित किया है।
13. हालांकि प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आंकड़ों में यथासूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमतों पर विचार करते हुए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत पर विचार किया है कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा और बैंक प्रभार के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के लिए निर्यात कीमत

14. डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आंकड़ों में यथासूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमतों पर विचार करते हुए अन्य संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा और बैंक प्रभार के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

च. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही है और पाटन मार्जिन काफी अधिक है जो जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराता है।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों के कारण उसकी स्थापना वास्तव में बाधित हुई है। तथापि, आवेदक ने क्षति अवधि में अपनी क्षति संबंधी सूचना भी प्रस्तुत की है। क्षति अवधि के दौरान आयातों और घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों संबंधी सूचना दर्शाती है कि आयातों के कारण ऐसी कीमत वृद्धि पर रोक लगी है जो अन्यथा बढ़ गई होती। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि उसे उत्पादन के निपटान के लिए निर्यात करना पड़ा है और बिक्री लागत से कम पर

घरेलू बाजार में बिक्री करनी पड़ी है। परिणामस्वरूप आवेदक ने बढ़ते हुए घाटे पर संबद्ध वस्तु बेची है और नकद घाटा उठाया है तथा नियोजित पूंजी नकारात्मक आय हुई है। घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच को न्यायोचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

17. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. संबद्ध देश

18. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हैं।

ट. जांच की अवधि

19. आवेदक ने जनवरी-दिसंबर, 2022 को जांच अवधि मानते हुए सूचना प्रदान की है। आवेदक ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित जांच अवधि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए आंकड़े प्रदान किए हैं। तथापि, वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 महीने) की है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच अवधि तथा तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच अवधि शामिल हैं।

ठ. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ड. सूचना प्रस्तुत करना

21. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in jd16-dgtr@gov.in adv13-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in, और पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
22. संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादक को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर यथाउल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

ढ. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in jd16-dgtr@gov.in adv13-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया

जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हितों (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/ अनुरोध प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

ण. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
29. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
30. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।
33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

त. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैंवसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें। अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

थ. असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

Case No – AD(OI) – 05/2023

Subject: - Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Isobutylene-Isoprene Rubber (IIR) originating in or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America.

F. No. 6/05/2023-DGTR.— 1. Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules or AD Rules”), Reliance Sibur Elastomers Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Isobutylene-Isoprene Rubber” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration” or “PUC” or “IIR”) originating in or exported from China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America (hereinafter referred to as the “subject countries”).

2. The applicant has alleged that dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries has materially retarded the establishment of the domestic industry and has caused material injury to the domestic industry. Accordingly, the applicant has requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries. However, the Authority has *prima facie* considered that dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries has caused material injury to the domestic industry.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is Isobutylene-Isoprene Rubber (“IIR”) which is a synthetic rubber, commonly used to manufacture inner tubes for tires and other high-pressure tubes. IIR has applications in the tube and tyre inner liners, which form an integral part of the pneumatic tyre manufacturing process. It is also used in diaphragms, gaskets, wire and cable insulations, liners, O-rings, seals, weather stripping, and bottle closures.
4. The product under consideration is classified under Chapter 40, under tariff code 4002 31 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.
5. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC as well as their proposal for the construction of PCNs, if any, within 30 days from the date of initiation of this investigation.

B. Like article

6. The applicant has claimed that there are no known significant differences in the goods produced by the domestic industry and that exported from the subject countries. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The applicant claimed that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as ‘like article’ to the subject goods originating in or exported from the subject countries.

C. Domestic industry and standing

7. The application has been filed by Reliance Sibur Elastomers Private Limited. The applicant has stated that it has imported the product under consideration from the subject countries prior to the commencement of commercial production as such imports were necessary to perform seed marketing activity prior to the

commercial launch of its production. However, no imports have been made post commencement of commercial production.

8. The applicant has further stated that it is a joint venture between Reliance Industries Limited and Sibur Investment AG. Sibur Investment AG is a 100% subsidiary of PJSC SIBUR Holding, which used to be a 100% holding company of SIBUR Togliatti, a producer of the product under consideration in Russia. SIBUR also has a stake in PJSC Nizhnekamskneftekhim, a producer of the product under consideration in Russia. However, there are no direct exports of such producers to India. Exports, if any, have been made by the traders. The applicant has claimed that Reliance Industries Limited holds majority shares and, accordingly, exercises control over Reliance Sibur Elastomers Private Limited. Further, the applicant and PJSC Nizhnekamskneftekhim cannot be considered related under Rule 2(b) since the two entities are not in a position to legally or operationally control each other and are not controlled by a third entity, it should not be considered related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries.
9. From the information on record, the Authority notes that Reliance Elastomers Private Limited is the sole producer of like article in India. The applicant accounts for a major proportion of the total domestic production in India. In view of the above and after due examination, the Authority *prima facie* notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. Normal value

Normal value for China PR

10. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and unless the Chinese producers show that market economy conditions prevail, their normal value should be determined in terms of Paragraph 7 of Annexure-I to the Rules. The normal value has been constructed based on the cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

Normal value for Russia, Saudi Arabia, Singapore and United States of America

11. The applicant has claimed that it was not able to find evidence regarding the domestic selling price in the subject countries. Since most of the countries are net exporters of the subject goods with a very low volume of imports, import prices cannot be relied upon. The applicant has, therefore, proposed to construct normal value for Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America on the basis of the best available information, having regard to the cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

The Authority has accepted the claim of the applicant in respect of the determination of normal value for the subject countries for the purpose of initiation of this investigation.

E. Export price

Export price for China PR

12. The applicant has claimed that the export price for China PR reported in the DGCI&S data appears to suffer from some inaccuracy and is significantly higher than the export prices for other countries. Accordingly, the applicant has taken the FOB price reported in Trade Map data and adjusted for inland freight, port expenses, bank charges and commission to arrive at the ex-factory export price for China PR.
13. However, the Authority has considered the export price of the subject goods by considering CIF price of the subject goods, as reported in the DGCI&S transaction-wise data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight, and bank charges to arrive at the ex-factory export price.

Export price for Russia, Saudi Arabia, Singapore and United States of America

14. Export price of the subject goods from other subject countries has been determined by considering the CIF price of the subject goods, as reported in the DGCI&S transaction wise data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight, and bank charges to arrive at an ex-factory export price.

F. Dumping margin

15. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries into the Indian market and the dumping margin is above *de-minimis* so as to justify initiation of the investigation.

G. Injury and Causal link

16. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has claimed that the imports have materially retarded its establishment. However, the applicant has also furnished its injury information over the injury period. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the imports have prevented price increases, which otherwise would have occurred. The applicant has also claimed that it has been forced to export in order to dispose of its production and has sold in the domestic market below its cost of sale. As a result, the applicant has sold the subject goods at increasing losses and incurred cash losses and a negative return on its capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries to justify the initiation of an anti-dumping investigation.

H. Initiation of Anti-Dumping Investigation

17. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Subject countries

18. The subject countries for the present anti-dumping investigation are China PR, Russia, Saudi Arabia, Singapore and the United States of America.

J. Period of investigation

19. The applicant has provided information considering January – December 2022 as the period of investigation. The applicant has provided data for the periods 2019-20, 2020-21, and 2021-22, the proposed period of investigation for the purpose of injury analysis. **However, the period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is from 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months).** The injury analysis period covers the period of investigation and the three preceding financial years, 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation.

K. Procedure

20. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, will be followed for the present investigation.

L. Submission of Information

21. In view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, adg16-dgtr@gov.in, and. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Work format and data files are in MS Excel format.
22. The known producers/exporters from the subject countries, their Governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producers are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

M. Time Limit

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, and adg16-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the

Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

N. Submission of information on confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority, including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
30. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of the receiving the non-confidential version of the document.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied, the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

O. Inspection of Public File

36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/response/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

P. Non-cooperation

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority